मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 7, 1942)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड का 57 वां एवं 58 वां वार्षिक विवरण क्रमश: वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार –

(i) जिला खनिज प्रतिष्ठान, पन्ना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,
(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान, नरसिंहपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,
(iii)जिला खनिज प्रतिष्ठान, दमोह का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,
(iv)जिला खनिज प्रतिष्ठान, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा
(v) जिला खनिज प्रतिष्ठान, बैतूल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री प्रेमसिंह पटेल, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री**, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-18-2020-बी-ग्यारह, दिनांक 03 नवम्बर, 2020 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,** म.प्र.राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

3. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का समापन.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य,** महिदपुर रोड स्थित दिशा शक्कर सहकारी कारखाने की भूमि का हस्तांतरण न किये जाने की ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य,** मुरैना जिले के ए.बी.सी. केनाल एवं ए.बी. रोड के नहर साईड रेलिंग का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री विक्रम सिंह, सदस्य,** सतना जिले के रामपुर बघेलान अंतर्गत एन.एच.-75 (सज्जनपुर) से हिनौता-बदरखा पहुँच मार्ग निर्माण कराये जाने,

(2) **डॉ. सतीश सिकरवार,** सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक-18 में दीनदयाल नगर गणेश पार्क, गोल पार्क एवं शंकर आटा चक्की वाली रोड का निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र-81, बैरागढ़ चिचली पटेल कालोनी में सड़क व नाली निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले के कैमोर में आई.टी.आई. की स्थापना किये जाने,

(5) **श्री सुनील उईके, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम भतोदिया कला रैन्दई ढाना नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के ग्राम धरमपुर विकासखण्ड सिरोंज में सड़क निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम पृथ्वीपुर में महाविद्यालय खोले जाने,

(8) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य,** दमोह जिले के हटा अंतर्गत मुहरई हटा व देवरीफतेहपुर में नवीन हाईस्कूल निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,** नीमच जिले के जीरन मुख्यालय से फोफलिया तक टू लेन सड़क निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के बरगी विधान सभा क्षेत्र के शहपुरा भिटौनी अंतर्गत जर्जर शालाओं के निर्माण/मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत किये जाने,

(11) **श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम लखोनी में नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य,** दमोह जिले के ग्राम मोहड़ से लमती तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम झोपाली में श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर पुलिया व रोड का निर्माण कराये जाने,

(14) **श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के झिरन्या में नर्मदा सागर की मुख्य नहर से उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(15) **श्री जजपाल सिंह 'जज्जी', सदस्य,** अशोक नगर जिले के शाढोरा नगर में रेस्ट हाउस निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी जिले के ग्राम मोहगांव में जलाशय निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(17) **श्री जालम सिंह पटैल, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम सिंहपुर में पशु चिकित्सालय भवन स्वीकृत किये जाने,

(18) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी जिले के ग्राम चरगवां में शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(19) **श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू, सदस्य,** नीमच जिले की तहसील मनासा में क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने,

(20) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य,** रायसेन जिले के उदयपुरा अंतर्गत ग्राम केतोघान माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(21) **श्री देवीलाल धाकड़, सदस्य,** मंदसौर जिले के भानपुरा नगर में भूमि आवंटित कर नवीन भवन निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य,** सीधी शहर में कन्या उच्चतर मा. विद्यालय के पास से शीतलदास मंदिर होकर विजयपुर बायपास तक सड़क मार्ग का दोहरीकरण कराये जाने,

(23) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य,** मुरैना जिले के ग्राम तिलावली में क्वारी नदी पर कॉजवे कम स्टापडेम निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य,** उज्जैन जिले के ग्राम सगवाली में नवीन हाईस्कूल स्वीकृत किये जाने,

(25) **श्री तरबर सिंह, सदस्य,** सागर जिले के ग्राम खटौरा कलां में पुराने तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

(26) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के ग्राम अमोदिया बरमण्डल, दसई, धुलेट एवं रानीखेड़ी में मांगलिक भवन निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम नांदचांद में पतने नदी पर स्टापडेम निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम पीपल्यावीरम में डोंगरा मार्ग स्थित नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य,** सागर जिले के नरयावली नाका स्थित मॉडल स्कूल बावड़ी का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(30) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य,** सागर जिले के मकरोनिया के शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

(31) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के परासिया WCL मार्ग से नेहरिया बालकछार तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री मनोज चावला, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम भूतेडा में मिट्टी परीक्षण केन्द्र व कपास अनुसंधान केन्द्र शुरू कराये जाने,

(33) **श्री संजय शर्मा, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम भैंसा से गाडरवारा-तेन्दूखेड़ा मुख्य मार्ग तक पक्का रोड निर्माण कराये जाने,

(34) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य,** मंदसौर जिले के ग्राम एलची में नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(35) **श्री रामचन्द्र दांगी, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम बेरसिया में शासकीय हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(36) **श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम नेहरा-नहरी (उ.प्र.) मार्ग की केन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(37) **श्री हर्ष यादव, सदस्य,** सागर जिले के देवरी एवं केसली को जोड़ने वाले मार्ग जैतपुरकछया से दलपतपुर जूना तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने,

(38) **श्री राकेश मावई, सदस्य,** मुरैना जिले के ग्राम शेरपुर में नवीन तालाब निर्माण कराये जाने,

(39) **श्री राहुल सिंह लोधी, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के कुडीला में नायब तहसील कार्यालय बनवाये जाने,

(40) **श्री राकेश गिरि, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम बकपुरा स्थित बगाज माता तालाब की नहर को पक्का कराये जाने,

(41) **श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य,** शहडोल जिले के ठिहकी शासकीय हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(42) **श्री मुकेश रावत, सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम कुण्डवाट मेन रोड से डामरी आंगनबाड़ी केन्द्र तक रोड निर्माण कराये जाने,

(43) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य,** अनूपपुर जिले के ग्राम परसवार में पी.सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(44) **श्री कुणाल चौधरी, सदस्य,** शाजापुर जिले के ग्राम डोराबाद में तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

(45) **श्री सुनील सराफ, सदस्य,** अनूपपुर जिले के ग्राम सड्डी से लोढ़ी पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

सुश्री मीना सिंह मांडवे, जनजातीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

8. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन.

डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड, विश्वविद्यालय, छतरपुर तथा छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

9. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु दो सदस्यों का निर्वाचन.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.”.

निर्धारित समय

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

30 मि. (1) **डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) **डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (3) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (4) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (5) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (6) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

11. अशासकीय संकल्प.

(1) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पश्चिम मध्य रेल्वे के कटनी जंक्शन स्टेशन में डी.आर.एम. का पद सृजित कर डी.आर.एम. कार्यालय स्थापित किया जाए .".

(2) **सर्वश्री रामलल्लू वैश्य, बापू सिंह तंवर, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 88 में शामिल वैसवार जाति एवं राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 59 में शामिल लोढ़ा (तंवर) जाति को केन्द्र शासन के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में भी शामिल किया जाए.".

(3) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि बिना सेंसर बोर्ड या अन्य बोर्ड से पास वेबसीरिज के प्रसारण पर रोक लगाने एवं बिना सेंसर बोर्ड के पास किये, प्रदर्शित की जा रही वेबसीरिजों के निर्माता एवं निर्देशकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया जाए.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 2021